फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भंवरलाल बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 87/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 05.11.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेराकार उपस्थित। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेराकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजी संख्या 2045 रकबा 0.8600 है. भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम खातेदारी से दर्ज हैं। उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजी के साथिक आराजी नं. 814/11 रकबा 4 बीघा भूमि को प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 16.09.2019 को पूर्व खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि उक्त आराजीयात को खरीदने के पश्चात राजस्व अभिलेख में भू माप प्रणाली के परिवर्तन के समय प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात के रकबे में कमी तथा राजस्व नक्शे में भिन्न स्थान पर प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात को दर्शा दिया गया हैं जिससे प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात का साथिक रेकर्ड अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया की मौजा अगोरिया की आ.न. 2045 रकबा 0.8600 है. श्री भवरलाल पिता मांगीलाल मलारा जाति ढोली सा. डुगला खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। यह कि आ.न. 2045 की तरमीम संयोगशन के दौरान सहवन से गलत जगह पर होने से ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम हो गई हैं जबकि राजस्व नक्शे में सही तरमीम दर्ज हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि आ.न. 2044 रकबा 0.1700 है. बिलानाम सरकार दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान नक्शे में 2045 की जगह 2044 एवं 2044 की जगह 2045 की तरमीम हो रखी हैं। इसलिए रकबे में कमी व नक्शे में अशुद्धि हो रही है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पेश कर आराजी न. 2045 की जगह पेश कर आराजी न. 2045 की जगह पर आ.न. 2044 एवं आ.न. 2044 की जगह आ.न. 2045 की तरमीम किया जाना प्रस्तावित किया।

प्रकरण में हमने पाया कि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी से दर्ज हैं जिसके दस्तावेज स्वरूप जमाबंदी की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध हैं। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आ.न. 2045 की ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम हो रखी है जबकि राजस्व नक्शे में सही तरमीम दर्ज हैं जिसको तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पेश कर आराजी न. 2045 की जगह पर आ.न. 2044 एवं आ.न. 2044 की जगह आ.न. 2045 की तरमीम किया जाना प्रस्तावित किया।

अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा अगोरिया पटवार हल्का बरोडिया तहसील भीण्डर की ऑनलाईन नक्शा ट्रेस में आराजी संख्या 2045 के स्थान पर आराजी संख्या 2044 व आराजी संख्या 2044 के स्थान पर आराजी संख्या 2045 प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:00:03 IST
Reason: SelfAttested